न्यायालय तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,लखीमपुर खीरी।

सत्र परीक्षण संख्या–70/2018

कम्प्यूटर रजि0संख्या–73/2018

सी0एन0आर0संख्या–यू0पी0एल0पी0–010009722018

राज्य प्रति सलीम आदि

22.10.2021

पत्रावली पेश हुई। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद के साथ अन्य वाद एस0टी0सं0–202/18,सरकार बनाम फिरोज तथा एस0टी0सं0–151/18, सरकार बनाम सलीम, अन्तर्गत धारा–3/25 आर्म्स एक्ट के सभी साक्षी समान है तथा मूल अभिलेख भी उक्त वाद में संलग्न है। अतः सत्र परीक्षण संख्या–70/18 में सत्र परीक्षण संख्या–202/18, सरकार बनाम फिरोज तथा एस0टी0सं0–151/18, सरकार बनाम सलीम, अन्तर्गत धारा–3/25 आर्म्स एक्ट को एकजाई करते हुये सत्र परीक्षण संख्या–70/18 को मूल के रूप में सुनवाई करने की याचना की गयी है।

सुना, पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में दो अन्य वाद दाखिल है। जिसमें एस0टी0संख्या–70/18 जो कि धारा–307,506 भा0दं0 सं0 व 2,9,27,31,35,51(1)डब्लू0एल0पी0 व 26 फारेस्ट एक्ट से एस0टी0सं0–202/18,सरकार बनाम फिरोज तथा एस0टी0सं0–151/18, सरकार बनाम सलीम, अन्तर्गत धारा–3/25 आर्म्स एक्ट सम्बन्धित है। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त तीनों वाद एक ही घटना से सम्बन्धित है तथा सभी साक्षी समान है। अतः उपरोक्त तीनों वाद एकजाई किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार एस0टी0सं0–70/18 तथा एस0टी0सं0–202/18 व एस0टी0सं0–151/18, एकजाई किये जाते है। एस0टी0सं0–70/18 राज्य प्रति सलीम आदि अग्रणी वाद रहेगा।

तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश

खीरी।

न्यायालय तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,लखीमपुर खीरी।

सत्र परीक्षण संख्या–59 / 2015

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या–700059 / 2015

सी0एन0आर0संख्या–यू0पी0एल0पी0–010030692015
<u>राज्य प्रति इशहाक अली आदि</u>

<u>13.09.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद के साथ अन्य वाद एस0टी0सं0–60/15, 61/15, व 163/15 अन्तर्गत धारा–3/25 आर्म्स एक्ट के सभी साक्षीगण समान है तथा मूल अभिलेख भी उक्त वाद में संलग्न है। अतः एस0टी0संख्या 59/15 को अन्य सभी वादों 60/15, 61/15, व 163/15 को एकजाई करते हुए एस0टी0संख्या–59/15 को मूल के रूप में सुनवाई करने की याचना की गयी है।

सुना,पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में तीन वाद दाखिल है। जिसमें एस0टी0संख्या–59/15 जो कि धारा–394, 411, 307, 120बी, 419, 420, 467, 468 भा0दं0सं0 से तथा एस0टी0सं0–60/15, 61/15, व 163/15 अन्तर्गत धारा–3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित है। अतः स्पष्ट हे कि उपरोक्त चारों वाद एक ही घटना से सम्बन्धित है तथा सभी साक्षीगण समान है। अतः उपरोक्त चारों वाद एकजाई किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार एस0टी0सं0–59/15, 60/15,61/15, व 163/15 एकजाई किये जाते है। एस0टी0सं0–59/15, राज्य प्रति इशहाक अली अग्रणी वाद रहेगा।

तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश
खीरी।

न्यायालय तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,लखीमपुर खीरी।
सत्र परीक्षण संख्या–702/2016

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या—100296 / 2016
सी0एन0आर0संख्या—यू0पी0एल0पी0—010079142016
राज्य प्रति सचिन कुमार आदि

13.09.2021

पत्रावली पेश हुई। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद के साथ अन्य वाद एस0टी0सं0—703 / 16,704 / 16, 705 / 16 व 706 / 16 अन्तर्गत धारा—3 / 25 आर्म्स एक्ट के सभी साक्षीगण समान है तथा मूल अभिलेख भी उक्त वाद में संलग्न है। अतः एस0टी0संख्या 702 / 16 को अन्य सभी वादों 703 / 16,704 / 16, 705 / 16 व 706 / 16 के साथ एकजाई करते हुए एस0टी0संख्या—702 / 16 को मूल के रूप में सुनवाई करने की याचना की गयी है।

सुना,पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में चार अन्य वाद दाखिल है। जिसमें एस0टी0संख्या—702 / 16 जो कि धारा—302,308,394,411 भा0 दं0 सं0 से तथा एस0टी0सं0—703 / 16, 704 / 16, 705 / 16 व 706 / 16 अन्तर्गत धारा—3 / 25 व 4 / 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित है। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त पांचो वाद एक ही घटना से सम्बन्धित है तथा सभी साक्षीगण समान है। अतः उपरोक्त पांचो वाद एकजाई किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार एस0टी0सं0—702 / 16, 703 / 16, 704 / 16, 705 / 16 व 706 / 16 एकजाई किये जाते है। एस0टी0सं—702 / 16, राज्य प्रति सचिन कुमार अग्रणी वाद रहेगा।

तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश
खीरी।

न्यायालय सिविल जज,सी0डि0,लखीमपुर खीरी।
प्रा0दी0वाद संख्या–205/2014
<u>राकेशवन बनाम रामचन्द्र आदि</u>

<u>19.01.17</u>

पत्रावली आदेशार्थ नियत थी। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र 61ग2 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 61ग2 वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली दी0सं0 205/14 राकेशवन बनाम रामचन्द्र आदि व दी0सं0 211/14 रामचन्द्र आदि बनाम चन्द्रशेखर आदि को एकजाई करके निस्तारण एक साथ करने की याचना की गयी है।

प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में दो वाद दाखिल है, दी0वाद संख्या–205/14 राकेशवन बनाम रामचन्द्र आदि व दी0सं0 211/14 रामचन्द्र आदि बनाम चन्द्रशेखर आदि स्थायी निषेधाज्ञा के निसबत् लंबित है। अतः स्पष्ट हे कि उपरोक्त दोनों वादों में पक्षकार समान है तथा वादग्रस्त सम्पत्ति भी समान है। अतः उपरोक्त दोनों वादों का निस्तारण एक ही साक्ष्य से हो जायेगा। उपरोक्त परिस्थिति में दोनों वाद एकजाई किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 61ग2 स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार दी0वाद संख्या–205/14 राकेशवन बनाम रामचन्द्र आदि व दी0सं0 211/14 रामचन्द्र आदि बनाम चन्द्रशेखर आदि एकजाई किये जाते है। पूर्व में दाखिल वाद सं0–205/14 राकेशवन बनाम रामचन्द्र आदि लीडिंग वाद रहेगा।

आदेश की प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये।

सिविल जज,सी0डि0
खीरी।

न्यायालय सिविल जज,सी0डि0,लखीमपुर खीरी।
प्रा0दी0वाद संख्या–378/2016
<u>इरफान बनाम नगर पंचायत आदि</u>

<u>26.0417</u>

पत्रावली आदेशार्थ नियत थी। पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र 35ग2 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 35ग2 प्रतिवादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली दी0वाद सं0 688/15 इरफान बनाम जमील आदि व दी0वाद सं0 378/16इरफान बनाम नगर पंचायत ओयल आदि को एकजाई करके निस्तारण एक साथ करने की याचना की गयी है।

वादी द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में दो वाद दाखिल है, दी0वाद सं0 688/15 इरफान बनाम जमील आदि व दी0वाद सं0 378/16इरफान बनाम नगर पंचायत ओयल आदि स्थायी निषेधाज्ञा के निसबत् लंबित है। अतः स्पष्ट हे कि उपरोक्त दोनों वादों में पक्षकार समान है तथा वादग्रस्त सम्पत्ति भी समान है। अतः उपरोक्त दोनों वादों का निस्तारण एक ही साक्ष्य से हो जायेगा। उपरोक्त परिस्थिति में दोनों वाद एकजाई किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 35ग2 स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार दी0वाद सं0 688/15 इरफान बनाम जमील आदि व दी0वाद सं0 378/16इरफान बनाम नगर पंचायत ओयल आदि एकजाई किये जाते है। पूर्व में दाखिल वाद दी0वाद सं0 378/16इरफान बनाम नगर पंचायत ओयल आदि लीडिंग वाद रहेगा।

आदेश की प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये।

सिविल जज,सी0डि0
खीरी।